कार्यालय, नगर पंचायत, टिकारी

126

पत्रांक 52 दिनांक 28/01/15

प्रेषक,

कार्यपालक पदाधिकारी
नगर पंचायत, टिकारी।

सेवा में,

महालेखाकार (ले0प0)
बिहार, पटना।

विषयः— अंकेक्षण प्रतिवेदन सं0— 440/2008—09 के कंडिकाओं के निष्पादन के संबंध में।

प्रसंगः— भवदीय पत्रांक— No. L.A. Sur/Compliance/14020/232
दिनांक— 08.09.2011

महाशय,

उपर्युक्त विषयक एवं प्रासंगिक पत्र के आलोक में अंकेक्षण में उठाये गये आपत्तियों का कंडिकावार निष्पादन कर अनुपालन प्रतिवेदन इस पत्र के साथ संलग्न कर भेजा जा रहा है।

अतः अनुरोध है कि अंकेक्षण में उठाये गये आपत्ति को निष्पादित करने की कृपा की जाये।

अनुलग्नकः— 04 पृष्ठ।

विश्वासभाजन

ह0 —

कार्यपालक पदाधिकारी
नगर पंचायत, टिकारी

ज्ञापांक 52 दिनांक 28/01/15

प्रतिलिपिः— सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना को भवदीय अर्द्धसरकारी पत्रांक— 7/अंकेक्षण—95/2014/4189, दिनांक— 24.12.2014 एवं पत्रांक— 373, दिनांक— 13.01.2015 के आलोक में आवश्यक कार्रवाई हेतु सादर समर्पित। अनुरोध है स्पष्टीकरण से मुक्त करने की कृपा की जाये।

विश्वासभाजन

28/1/15

कार्यपालक पदाधिकारी
नगर पंचायत, टिकारी

टिकारी नगर पंचायत

अंकेक्षण प्रतिवेदन संख्या– 440 / 2008–2009

वर्ष 2003–2004 से 2007–2008 तक का अनुपालन प्रतिवेदन

आपत्ति कंडिका संख्या	अंकेक्षण आपत्ति का संक्षिप्त विवरण	अनुपालन प्रतिवेदन	अभ्युक्ति
03	लेखा परीक्षा की परियोजना	परिशिष्ट– I पूर्व से संधारित है। परिशिष्ट– II मे उल्लेखित पंजी / संचिका संधारित किया गया है।	
07	अभिदृश्य	नगर पंचायत, टिकारी का वर्ष 2003–2004 से 2007–2008 तक का आय व्यय की स्थिति अंकेक्षण दल को दिखायी गयी है जिसका विवरण अंकित किया गया है। कोई टिप्पणी नहीं।	
07 (ख)	अन्तर्शेष	(1) कोषागार से वार्षिक सत्यापन किया जाता है। (2) पंजाब नेशनल बैंक में खाता में दिखाये गये अंतर राशि के संबंध में निराकरण किया गया है। (3) बैंक ऑफ बड़ौदा के खाता में दिखाये गये अंतर राशि का भी निराकरण किया गया है। (4) मगध ग्रामीण बैंक के खाता में दिखाये गये अंतर राशि का निराकरण किया गया है।	
07	अंकेक्षण आपत्ति	(1) वर्तमान में कार्यरत लेखा लिपिक की अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति हुई है। पूर्व से सामान्य रोकड़ बही मे ही लेखा संधारण होते आ रहा है। जिसका नकल वर्तमान लेखा लिपिक के द्वारा किया जाता है। सहायक रोकड बही संधारण करने हेतु लेखा लिपिक को प्रशिक्षित किये जाने की आवश्यकता है। वर्तमान में लेखा संधारण हेतु डबल इन्ट्री सिस्टम पर कार्य चल रहा है जिसके पूर्ण होने पर स्वतः शीर्षवार लेखा संधारण होने लगेगा। (2) निदेशानुसार संधारण किया गया है जिसे अगले अंकेक्षण में प्रस्तुत कर दिया गया है। (3) निदेशानुसार अनुपालन किया गया है तथा भविष्य में इस दिशा में अनुपालन किया जायेगा। मासिक तथा वार्षिक पंजी मे संशोधन किया गया है। (4) नगर पंचायत में वित्तीय सुधार हेतु कार्रवाई की जा रही है तथा पुनः कर निर्धारण हेतु टैक्स दारोगा को निर्देश दी गयी है तथा बकाया एवं हाल की वसूली की दिशा में निर्देश देते हुए कारवाई करने का आदेश दिया गया है। स्वय के श्रोतो में बढोत्तरी तथा खर्च में कटौती किये जाने की दिशा में अनुपालन किया जा रहा है।	
08	कोषागार पासबुक	कोषागार से वार्षिक सत्यापन किया जाता है। कोषागार पासबुक उपलब्ध नहीं है।	
09	अनुदान	निदेशानुसार अनुदान पंजी का संधारण किया गया है तथा किये गये खर्च की विवरणी अंकित की गयी है।	

कार्यपालक पदाधिकारी
नगर पंचायत, टिकारी

10	ऋण	निदेशानुसार ऋण पंजी का संधारण किया गया है तथा किये गये खर्च की विवरणी की प्रविष्टि की गयी है। ऋण की विवरणी तथा उसपर अदभूत ब्याज का विवरणी तैयार की जा रही है जिसे अगले अंकेक्षण दल के समय प्रस्तुत की जायेगी।	
11	कम जमा। नहीं जमा।	17,415.00 रूप्या कम जमा में से क्रमशः 1800.00 रूप्या दिनांक– 18.03.09 में तथा 1000.00 रूप्या दिनांक– 20.03.09 को चालान द्वारा भारतीय स्टेट बैंक टिकारी शाखा में जमा किया गया है। शेष 6615.00 रूपया श्री नारायण सिंह के द्वारा MR No.-1309 के द्वारा दिनांक–12/01/2015 से जमा कर दिया गया है।	
12	मांग व वसूली पंजी	मांग व वसूली पंजी तैयार करने हेतु टैक्स दारोगा को अनेक स्मार दिया गया है। संचिका अगले अंकेक्षण दल को समय प्रस्तुत की जायेगी। पुनः मांग व वसूली पंजी अभिलेख तैयार करने हेतु टैक्स दारोगा को हिदायत किया गया है। अंकित करना है कि नगर पंचायत टिकारी में स्वीकृत बल 93 के विरूद्ध कार्यरत बल 16 है। टैक्स दारोगा– 1, सहायक टैक्स दारोगा का– 1 पद स्वीकृत है जो रिक्त है। राजस्व वसूली पर इसका प्रभाव पड़ा है।	
13	करो का पुनरीक्षण	निदेशानुसार टैक्स दारोगा को पत्रांक– 355 दिनांक– 15.12.09 के द्वारा दिशा निर्देश देते हुए तत्परता से कार्य पूरा करने का आदेश दिया गया है। विभागीय पत्र पत्रांक– 907, दिनांक– 13/12/2014 के आलोक में कर निर्धारण की कार्रवाई प्रारंभ की गयी है।	
14 (क) (ख)	सैरात पंजी	(क) सैरात पंजी का संधारण कर लिया गया है। (ख) इस दिशा में इस कार्यालय के पत्रांक– 220 दिनांक– 20.08.09 पत्राचार किया गया है। शेष वसूली हेतु कारवाई की जा रही है। आपत्ति के आलोक में जिम्मेवार व्यक्तियों से, निदेश प्राप्त होने पर राशि की वसूली की जायेगी।	
14 (ग)	बस स्टैण्ड बन्दोवस्ती	(ग) परिस्थिति के आलोक में डाक लेने के लिये डाक वक्ता की उपस्थिति कम होने पर ऐसा किया गया है।	
14 (घ)	फूटपाथी बाजार	(घ) फूटपाथी दुकानदारों से विभागीय वसूली कम होने का कारण है कि अतिक्रमण हटाओ अभियान तथा अन्य कारणों से दुकान पंचायत क्षेत्र के बाहर चला गया। वर्ष 2009–10 में सरकारी पत्रांक– 2972 दिनांक– 20.07.09 के अनुसार फूटपाथी दुकानदारों से वसूली बंद कर दी गयी है।	
15	दुकान किराया	कंडिका I, II एव III के निर्देशों का पालन करते हुए सभी दुकानदारों से किराया की वसूली कर ली गयी है। दूकान किराया में बढ़ोत्तरी की गयी है।	
16	शिक्षा एव स्वास्थ्य कर	शिक्षा तथा स्वास्थ्य शेष जमा करने की दिशा में आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। राशि उपलब्धता के आधार पर सरकारी कोष में जमा किया जायेगा।	

कार्यपालक पदाधिकारी
नगर पंचायत टिकारी
टिकारी (गया)

123

17	दैनिक वेतन भुगतान	परिशिष्ट– VIII परिस्थिति जन्य आवश्यक कार्यो को ध्यान मे रखकर मजदूरों का सेवा प्राप्त किया गया है। दैनिक मजदूरी पर नियुक्ति नही की गयी है।	
18	रा0ग0 विकास कार्यक्रम	(i) अबतक अपूर्ण योजना 7 को पूर्ण कराने हेतु आदेश दिया गया है। (ii) स्लम पाकेट के आधार पर ही योजना का चयन किया गया है। वार्ड 1–10 तक मे ही स्लम एरिया है। (iii) रा0ग्रा0वि0 कार्यक्रम योजना नेवर हुड कमिटी से करायी गयी है। योजना में कार्य संपन हो चुका है, परन्तु अभिश्रव नही दिया गया है, जिसके कारण समायोजन लम्बित है।	
19	आधार भूत संरचना अनिर्गत प्राप्त अनुदान	(i) अपूर्ण योजनाओं मे से सख्या योजना को पूर्ण किया गया है तथा योजना मे अग्रिम राशि को जमा करने हेतु सूचना दी गयी फलस्वरूप अग्रिम राशि को जमा कराया गया है। (ii) कार्य प्रारम्भ नही किये जाने वाले योजना में अभिकर्ता को सूचना दी गयी है कि अग्रिम राशि जमा करें। (iii) सरकार द्वारा स्वीकृत योजना का स्थल परिवर्तन बोर्ड की बैठक में दिनांक– 20.07.08 मे आवटन मे विलम्ब होने के फलस्वरूप अन्य पद से कार्य कराये जाने मे फलस्वरूप योजना मे परिवर्तन किया गया है। इस संबंध मे नगर पंचायत द्वारा पत्रांक– 215 दिनांक– 07.11.06 के द्वारा अवगत कराया गया था। सरकार द्वारा दिये गये निर्देश के आलोक मे परिवर्तित योजनाओं का समायोजन नगर पंचायत की अपनी आय, 12 वें वित्त की राशि एवं अन्य स्मार में बची राशि से किये जाने का अनुरोध किया गया है। (a) परिवर्तित योजनाओं मे सरकारी आदेश के अनुपालन मे अभिकर्ता का अग्रिम राशि वापस किये जाने हेतु सूचना दी गयी है। (b) निदेशानुसार सरकारी कोष मे जमा करने हेतु अभिकर्ता को सूचना दी गयी है। (c) आवंटन एवं स्वीकृत योजना के अनुरूप कुल 23 योजना के विरूद्ध 36 योजनाओं ली गयी है जिसे अगले अंकेक्षण मे स्पष्ट किया गया।	
20	एकादशा वित्त आयोग	(i) बोर्ड की बैठक मे दिये गये निर्णय के आलोक मे ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन एवं नाली निर्माण मे खर्च की गयी है। (ii) ली गयी योजना मे से सभी अपूर्ण योजना को पूर्ण कर लिया गया है। (iii) अलग लेखा पंजी संधारित करने की कार्रवाई की जा रही है।	
21 (i)	N.S.D.P. योजना	योजना सं0– 12/01–02 मे मापी पुस्तिका के आधार पर तथा अग्रिम की राशि अधिक दी गयी थी जिसे अभिकर्ता द्वारा बाद मे कार्य कराया गया है निर्माण कार्य पूरा करा दिया गया है।	

कार्यपालक पदाधिकारी
नगर पंचायत [illegible]